कार्यालय–नगर निगम, काशीपुर जिला–ऊधमसिंहनगर

Fax No. 05947-260398
E-Mail ID-nagarnigamkashipur@gmail.com

पत्रांक – /मु0 कार्यालय/2022–23 दिनांक – .....

नगर निगम काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 541 के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत निजी सम्पपत्ति पर संचालित हाट बाजार सम्बन्धी एवं नगर निगम सम्पत्ति/सरकारी सम्पत्ति पर लगने वाले फड़/ठेला आदि से तहबजारी शुल्क वसूली एंव नगर निगम सम्पत्ति/सरकारी सम्पत्ति पर अस्थायी अतिक्रमण बाबत् जुर्माना लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर आपत्ति नगर आयुक्त, नगर निगम काशीपुर को सम्बोधित करते हुए कार्यालय नगर निगम काशीपुर में प्रस्तुत किये जा सकते है, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगर निगम सीमान्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित होने वाले हाट बाजार हेतु उपविधि

01– नगर निगम सीमान्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित होने वाले हाट बाजार हेतु उपविधि विद्यमान उपविधियों को अतिक्रमित करते हुए, यह उपविधि नगर निगम काशीपुर की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित हाट बाजार को नियन्त्रित करने हेतु निजी सम्पत्ति पर हाट बाजार हेतु उपविधि वर्ष 2023 कहलायेगी जो यह गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

02–परिभाषा :–

(क)– अधिनियम–अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 यथा प्रभावी उत्तराखण्ड से है।
(ख)– नगर निगम सीमा से तात्पर्य–नगर निगम काशीपुर हेतु शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है।
(ग)– नगर आयुक्त–नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर में शासन के कार्मिक विभाग से तैनात नगर आयुक्त से है।
(घ)– मेयर–मेयर का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित मेयर(महापौर) से है।
(ड़)– प्रशासक– प्रशासक का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मेयर के स्थान पर नामित अधिकारी से होगा।
(च)– बोर्ड–बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित बोर्ड से है।
(छ)– शासन–शासन से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है।
(ज)– प्रतिवर्ष–प्रतिवर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

03– नगर निगम, काशीपुर की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी निजी सम्पत्ति पर हाट बाजार लगाने हेतु नगर निगम, काशीपुर द्वारा इस उपनियम के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अनुमति उपरान्त ही हाट बाजार का स्थापन/संचालन कर सकते हैं।

04– निजी सम्पत्ति पर हाट बाजार संचालन हेतु नगर निगम, काशीपुर द्वारा नगरान्तर्गत व्यवसाय करने हेतु जारी किये जाने वाला ट्रेड लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

05– हाट बाजार संचालन हेतु निम्नानुसार व्यवस्थाएं हाट बाजार संचालक द्वारा स्वयं की जानी अनिवार्य होंगी :–

(1) पार्किंग हेतु पर्याप्त क्षेत्र (बाजार लगने वाले कुल क्षेत्र का 10 से 15 प्रतिशत)
(2) बाजार में संचरण हेतु पथ मार्ग/रास्ता (बाजार लगने वाले कुल क्षेत्र का 20 से 25 प्रतिशत)
(3) पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्था।
(4) शौचालय की व्यवस्था (महिला/पुरुष के लिए पृथक–पृथक)
(5) दुकानदारों के लिए विद्युत संयोजन तथा स्थल पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था।
(6) अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था।
(7) सुरक्षा की दृष्टि से सी0सी0टी0वी0 व पर्याप्त कैमरे तथा इसका कम–से–कम 01 माह के बैकअप की व्यवस्था की जाये।
(8) बाजार का अधिकृत मानचित्रकार द्वारा बना नदशा प्रस्तुत करना होगा।

नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

मेयर / महापौर
नगर निगम काशीपुर
ऊधम सिंह नगर

Fax No. 05947-260398
E-Mail ID-nagarnigamkashipur@gmail.com

(9) बाजार में लगने वाले सभी फड़ व्यवसायियों को प्रस्तावित दुकानों की लम्बाई, चौड़ाई के अनुसार निर्धारित दर सार्वजनिक स्थल पर दृष्टव्य स्थान पर बड़े अक्षरों में जिसे कि आसानी से पढ़ा जा सके, प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। जिसकी एक प्रति नगर निगम कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी।

(10) हाट बाजार का प्रबन्धन एवं संचालन इस प्रकार किया जायेगा कि बाजार से लगे हुए सार्वजनिक मार्ग में यातायात किसी भी प्रकार से बाधित न हो। हाट बाजार के कारण यातायात बाधित होने पर लाईसेन्स प्राप्तकर्ता नियमानुसार दण्ड का भागी होगा, द्वितीय बार दण्ड की धनराशि दुगनी होगी।

(11) बाजार सम्बन्धी भूमि के अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे एवं यदि भूमि किराये पर ली गयी है, तो नॉन ज्यूडिशल शपथ पत्र पर किरायानामा प्रस्तुत करना होगा।

06– हाट बाजार का समय–समय पर/आवश्यकतानुसार निरीक्षण करने का अधिकार नगर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (सहायक नगर आयुक्त/कर अधीक्षक/कर निरीक्षक) को होगा।

07– हाट बाजार में किसी भी सामग्री की बिक्री प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकोल एवं अन्य प्रतिबन्धित उत्पादों में नहीं की जायेगी तथा प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकोल एवं अन्य प्रतिबन्धित उत्पादों का उपयोग किये जाने पर नियमानुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगा।

08– नगर निगम सीमान्तर्गत लगने वाले हाट बाजार में कोई भी व्यक्ति/संस्था ऐसी वस्तुओं का व्यवसाय नहीं करेगा जिस पर राज्य सरकार/शासन द्वारा पूर्ण निषेध किया जा चुका हो।

09– केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य विधिनिहित संस्था के द्वारा निगम के नियन्त्रण हेतु लाईसेन्स इन उपविधियों से भिन्न होंगे।

10– निजी सम्पत्ति पर व्यक्ति/संस्था द्वारा हाट बाजार संचालन हेतु नगर निगम में कर–विभाग के दुकान किराया अनुभाग में शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। जिस हेतु निम्न शुल्क देय होगा :–

01– सप्ताह में एक दिन लगने वाले हाट बाजार हेतु :–

(01 से 50 तक दुकानें/फड़ होने पर)	रू0 60,000.00/– प्रतिवर्ष
51 से 100 तक दुकानें/फड़ होने पर	रू0 1,00,000.00/– प्रतिवर्ष
101 से अधिक दुकानें/फड़ होने पर	रू0 1,30,000.00/– प्रतिवर्ष

02– सप्ताह में दो दिन लगने वाले हाट बाजारों हेतु :–

(01 से 50 तक दुकानें/फड़ होने पर)	रू0 1,20,000.00/– प्रतिवर्ष
51 से 100 तक दुकानें/फड़ होने पर	रू0 1,50,000.00/– प्रतिवर्ष
101 से अधिक दुकानें/फड़ होने पर	रू0 2,20,000.00/– प्रतिवर्ष

03– सप्ताह में तीन दिन या तीन दिन से अधिक दिन लगने वाले हाट बाजारों हेतु :–

(01 से 50 तक दुकानें/फड़ होने पर)	रू0 90,000.00/– प्रतिवर्ष
51 से 100 तक दुकानें/फड़ होने पर	रू0 1,60,000.00/– प्रतिवर्ष
101 से अधिक दुकानें/फड़ होने पर	रू0 2,00,000.00/– प्रतिवर्ष

11– नियम–10 में निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत जमा करने के उपरान्त ही लाईसेन्स देय होगा।

12– नियम–10 के उपनियम (1,2,3) में अंकित शुल्क में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

13– उपविधि द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि पूर्णांक में नहीं होने पर निकटतम अधिकतम पूर्णांक के रूप में गणना की जायेगी।

14– हाट बाजार में आने वाले बाहरी व्यक्तियों (उत्तराखण्ड से पृथक) का अभिलेखीय सत्यापन अनिवार्य होगा।

15– मांस की बिक्री हेतु लगने वाली दुकानों एवं फड़ों में प्रत्येक प्रकार के मांस का रख–रखाव विक्रय मानकों के अनुरूप किया जाना भी अनिवार्य होगा।

नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

मेयर / महापौर
नगर निगम काशीपुर
ऊधम सिंह नगर

Fax No. 05947-260398
E-Mail ID-nagarnigamkashipur@gmail.com

16– हाट बाजार की कुल राशि को दो समान किस्तों में माह अप्रैल व जुलाई में जमा कराना अनिवार्य होगा। अपरिहार्य परिस्थिति में नगर आयुक्त की अनुमति से साधारण ब्याज के साथ किस्त जमा की जा सकती है, परन्तु उसमें दो माह से अधिक का विलम्ब स्वीकृत नहीं होगा।

हाट बाजार लगाये जाने हेतु उपरोक्त शर्तों में से किसी एक शर्त का भी उल्लंघन करने पर बाजार लगाये जाने वाले व्यक्ति/संस्था पर 25,000/– तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। आरोपित शर्तों का तीन बार से अधिक उल्लंघन करने पर अनुज्ञप्ति निरस्त की जायेगी। अर्थदण्ड को यदि व्यक्ति/संस्था द्वारा निगम कोष में नहीं जमा किया जाता है, तो भू–राजस्व की भांति वसूला जायेगा।

तहबजारी उपविधि

01– तहबाजारी उपविधि इस सम्बन्ध में विद्यमान उपविधियों को अतिक्रमित करते हुए, यह उपविधि नगर निगम काशीपुर की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तहबाजारी वसूली हेतु तहबाजारी वसूली हेतु उपविधि वर्ष 2023 कहलायेगी जो यह गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

02– परिभाषा :–

(क)– अधिनियम–अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 यथा प्रभावी उत्तराखण्ड से है।

(ख)– नगर निगम सीमा से तात्पर्य–नगर निगम काशीपुर हेतु शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है।

(ग)– नगर आयुक्त–नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर में शासन के कार्मिक विभाग से तैनात नगर आयुक्त से है।

(घ)– मेयर–मेयर का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित मेयर(महापौर) से है।

(ड़)– प्रशासक–प्रशासक का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मेयर के स्थान पर नामित अधिकारी से होगा।

(च)– बोर्ड–बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित बोर्ड से है।

(छ)– शासन–शासन का तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है।

(ज)– प्रतिवर्ष–प्रतिवर्ष का तात्पर्य वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

(झ)– तहबाजारी शुल्क– तहबाजारी शुल्क का तात्पर्य नगर निगम सीमान्तर्गत फड़, ठेले, पटरी, सड़क, निजी भूमि (वैध/अवैध), सरकारी भूमि पर व्यापार करने वालों से नगर निगम द्वारा लिये जाने वाले दैनिक शुल्क से होगा।

(ञ)– फड़– फड़ से तात्पर्य लकड़ी या किसी धातु से बना स्ट्रक्चर, सड़क के किनारे जमीन पर खुले में बैठकर व्यवसाय करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा फल, सब्जी, खाने की सामग्री एवं अन्य वस्तुएं आदि (प्रतिबन्धित वस्तुओं को छोड़ते हुए) का व्यापार करने हेतु उपयोग किया जा रहा है।

(ट)– ठेला से तात्पर्य– ऐसे व्यवसायी से है, जो बिना किसी स्थायी निर्मित संरचना के अस्थायी या चलायमान दुकान पर सामग्री रखकर बिक्री करता है।

03– तहबाजारी शुल्क रसीद नियम–2 के उपनियम(झ) में परिभाषित शुल्क हेतु नगर निगम से शुल्क प्राप्ति के सम्बन्ध में दी जाने वाली रसीद से है। इस रसीद से व्यापारी के सम्बन्धित व्यापार स्थल पर कोई अधिकारी आरोपित नहीं होंगे।

04– फड़/ठेला स्वामियों से लिये जाने वाला तहबाजारी शुल्क निम्नानुसार है :–

05– तहबजारी शुल्क :–

(1) 4X6 वर्ग फिट फड़/ठेला = 50 रू0 प्रतिदिन।(24 वर्ग फिट तक)
(2) 6X8 वर्ग फिट फड़/ठेला = 75 रू0 प्रतिदिन।(25 वर्ग फिट से 48 वर्ग फिट तक)
(3) 6X8 वर्ग फिट से अधिक फड़/ठेला = 150 रू0 प्रतिदिन।(48 वर्ग फिट से अधिक)

नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

मेयर / महापौर
नगर निगम काशीपुर
ऊधम सिंह नगर

नानि काशीपुर
कार्यालय–नगर निगम, काशीपुर जिला–ऊधमसिंहनगर

Fax No. 05947-260398
E-Mail ID-nagarnigamkashipur@gmail.com

06– नियम–6 के उपनियम (1,2,3) में अंकित शुल्क में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। फड़/ठेला व्यवसायी द्वारा सामान की बिक्री प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकोल एवं अन्य प्रतिबन्धित उत्पादों में नहीं की जायेगी तथा प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकोल एवं अन्य प्रतिबन्धित उत्पादों का उपयोग किये जाने पर नियमानुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगा।

07– उपविधि द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि पूर्णांक में नहीं होने पर निकटतम अधिकतम पूर्णांक के रूप में गणना की जायेगी।

08– जिस दिवस में पूरे 24 घण्टे व्यवसाय नहीं करने पर उस दिवस की तहबाजारी देय नहीं होगी, दिन के किसी भी भाग में व्यवसाय करने पर तहबाजारी देय होगी।

10– फड़/ठेला स्वामी द्वारा नगर निगम, काशीपुर द्वारा व्यापार करने हेतु जारी किये जाने वाला ट्रेड लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11– खाद्य सामग्री, फास्ट फूड आदि सम्बन्धी व्यवसाय करने वाले फड़/ठेला/ फूड वैन व्यवसायी को अपने आस–पास सफाई व्यवस्था एवं सूखा, गीला कूड़ा निस्तारण हेतु पृथक–पृथक डस्टबीन ठेले पर लगाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सार्वजनिक स्थल पर थूकना एवं कूड़ा फेंकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 की सम्यक धाराओं के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा (सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण उपविधि–2023)।

12– हाट बाजार में फड़/ठेला स्वामी द्वारा व्यवसाय इस तरह से किया जाये कि सफाई व्यवस्था में बाधा, जन सामान्य के आवागमन में बाधा एवं अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो, ऐसा होने की स्थिति में नियमानुसार जुर्माना आरोपित करते हुए सम्बन्धित सामान को जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

13– तहबाजारी वसूली नगर निगम सीमान्तर्गत व्यापार करने हेतु की जाती है, इसके अन्तर्गत दी जाने वाली तहबाजारी की रसीद सम्बन्धित का उस स्थान पर कब्जा, स्थायी कब्जा या स्वामित्व निर्धारित नहीं करेगी।

<u>नगर निगम भूमि, भवन, सम्पत्ति (वाहन, पार्क, पोल आदि) मार्ग आदि पर अस्थायी अतिक्रमण करना प्रतिषेध उपविधि–2023</u>

01– नगर निगम भूमि, भवन, सम्पत्ति (वाहन, पार्क, पोल आदि) मार्ग आदि पर अस्थायी अतिक्रमण करना प्रतिषेध उपविधि विद्यमान उपविधियों को अतिक्रमित करते हुए, यह उपविधि नगर निगम, काशीपुर की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत भूमि, भवन, सम्पत्ति(वाहन, पार्क, पोल आदि) मार्ग आदि पर अस्थायी अतिक्रमण करना प्रतिषेध उपविधि –2023 कहलायेगी जो यह गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

02– परिभाषा :–

(क)– अधिनियम–अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 यथा प्रभावी उत्तराखण्ड से है।
(ख)– नगर निगम सीमा से तात्पर्य–नगर निगम काशीपुर हेतु शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है।
(ग)– नगर आयुक्त–नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर में शासन के कार्मिक विभाग से तैनात नगर आयुक्त से है।
(घ)– मेयर–मेयर का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित मेयर (महापौर) से है।
(ङ)– प्रशासक–प्रशासक का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मेयर के स्थान पर नामित अधिकारी से होगा।
(च)– बोर्ड–बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित बोर्ड से है।
(छ)– शासन–शासन से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है।
(ज)– प्रतिवर्ष–प्रतिवर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

03– नगर निगम के भूमि, भवन, सम्पत्ति मार्ग आदि पर अतिक्रमण कर उपयोग करने/व्यापार करने एवं सार्वजनिक कार्यों में बाधा डालने वाले व्यक्ति को प्रथम दृष्टया मौखिक रूप से नगर निगम के नगर आयुक्त, उनके प्रतिनिधि द्वारा भूमि, भवन, रास्ते को तत्काल प्रभाव से जुर्माना आरोपित करते हुए खाली करने के निर्देश दिये जायेंगे।

नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

मेयर / महापौर
नगर निगम काशीपुर
ऊधम सिंह नगर

नानि काशीपुर कार्यालय–नगर निगम, काशीपुर जिला–ऊधमसिंहनगर
Fax No. 05947-260398
E-Mail ID-nagarnigamkashipur@gmail.com

04– अतिक्रमी के लिए स्थल, भवन, मार्ग खाली करना बाध्यकारी होगा।
05– दूसरी बार अतिक्रमण करते हुए पाये जाने पर जुर्माने की रकम दुगनी होगी।
06– अतिक्रमण स्थल से जब्त की हुई वस्तुएं नगर आयुक्त के निर्णयानुसार 0, 15, 30 दिन तक जब्त रखते हुए जुर्माने के बराबर की धनराशि जमा कराकर छोड़ी जायेगी।
07– नियम–3 के अन्तर्गत आरोपित जुर्माना निम्नानुसार होगा :–
(1) ठेले (चलायमान) द्वारा अतिक्रमण :– रू0 100/– प्रति ठेला
(2) फड़/खोखा द्वारा रोड पटरी पर अतिक्रमण :– रू0 200/– प्रति ठेला
(3) रोड/पटरी पर दुकान द्वारा अतिक्रमण :– रू0 100/– प्रति वर्ग फुट
(4) किसी स्थायी दुकानदार के सामने पटरी पर, ठेले पर अतिक्रमण की दशा में ठेले से रू0 100/– जबकि दुकानदार से रू0 100/– प्रति वर्ग फुट।
08– विवाद की स्थिति में स्थानीय न्यायालय, काशीपुर का क्षेत्राधिकार रहेगा।
09– उपविधि द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि पूर्णांक में नहीं होने पर निकटतम अधिकतम पूर्णांक के रूप में गणना की जायेगी।
10– अर्थदण्ड के बाद भी खाली न करने पर बलपूर्वक खाली कराये जाने पर होने वाला व्यय तत्समय में प्रभावी बाजार दर से वसूला जायेगा।
11– अर्थदण्ड की धनराशि या अतिक्रमण हटाने में होने वाले व्यय की धनराशि या दोनों जमा न करने पर धनराशि भू–राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।
12– अर्थदण्ड आरोपित/निर्धारित करने की शक्ति नगर आयुक्त या नगर आयुक्त द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी को होगी।

स्थान :–
दिनांक :– 20.02.23

(विवेक राय)
नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर
नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

(ऊषा चौधरी)
महापौर
नगर निगम, काशीपुर
मेयर / महापौर
नगर निगम काशीपुर
ऊधम सिंह नगर

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– नगर निगम कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
2– कर एवं राजस्व अधीक्षक, नगर निगम, काशीपुर को इस आशय से प्रेषित कि इस उपविधि को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने, कार्यालय की वेबसाइट **www.nagarnigamkashipur.com** पर उपलब्ध कराने एवं जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं सुझाव आपत्ति प्राप्त किये जाने हेतु पृथक से दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु प्रेषित।
3– उपजिलाधिकारी, तहसील एवं नगर क्षेत्रान्तर्गत समस्त शासकीय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं सुझाव आपत्ति प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से चस्पा किये जाने तथा सम्बन्धित कार्यालय से चस्पा कर दिये जाने की आख्या दिये जाने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर